2020 का विधेयक संख्यांक 111.

[दि एसेन्सियल कोमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

1955 का 10

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे खाद्य पदार्थों की पूर्ति जिसके अंतर्गत अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तेल और तेल हैं, जैसा कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, का विनियमन केवल असाधारण परिस्थितियों में जिसके अंतर्गत युद्ध, अकाल, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा है, में ही किया जा सकेगा ;

(ख) स्टॉक की सीमा को अधिरोपित की जाने वाली कोई कार्रवाई, कीमत वृद्धि पर आधारित होगी और किसी कृषि उपज के स्टॉक को सीमित करने का विनियमन करने वाला कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन जारी किया जा सकेगा यदि—

(i) उद्यान उत्पाद के खुदरा मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि; या

(ii) नष्ट न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में पचास प्रतिशत वृद्धि,

पूर्ववर्ती तुरंत बारह मास के दौरान अभिभावी कीमत पर या पिछले पांच वर्ष के औसत खुदरा मूल्य पर, इनमें से जो भी निम्नतर हो, होती है:

परंतु यह कि स्टॉक की सीमा को विनियमित करने वाला ऐसा आदेश किसी कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण या मूल्य श्रृंखला सहभागी को लागू नहीं होगा, यदि ऐसे व्यक्ति की स्टॉक सीमा प्रसंस्करण की प्रतिष्ठापित समग्र ऊपरी सीमा या किसी निर्यातक की दशा में निर्यात की मांग से अधिक नहीं होती है:

परंतु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, सरकार द्वारा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किए गए किसी आदेश को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—किसी कृषि उत्पाद के संबंध में "मूल्य श्रृंखला सहभागी" से खेत से अंतिम उपभोग तक किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन से सहभागियों का सेट अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण अंतर्वलित है, जहां प्रत्येक प्रक्रम पर उत्पाद के मूल्य में वर्धन किया जाता है ।'।

निरसन और व्यवृत्तियां ।

3. (1) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2020 का अध्यादेश सं0 8

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम दवारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1955 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) कतिपय ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था जिन्हें आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया गया है और जो उस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

2. इस समय भारत में अधिकतर कृषि वस्तुओं की बढ़ोत्तरी हुई है और किसान शीतागार, भांडागार, प्रसंस्करण और निर्यात में हुई निवेश की कमी के कारण बेहतर कीमत प्राप्त करने में असमर्थ हैं क्योंकि उद्यमकर्ता आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में के विनियामक क्रियाविधियों से निरुत्साहित हो गए हैं । मुख्यमंत्रियों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति, जिसने इस मुद्दे की पड़ताल की थी, ने कृषि विपणन और अवसंरचना में निजी विनिधानों को आकृष्ट करने के लिए कृषि खाद्य पदार्थों के स्टाक, संचलन और कीमत नियंत्रण पर कठोर निर्बंधनों को हटाने की सिफारिश की है ।

3. कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे बेरोजगारी और मंदी बढ़ी है । कृषि सेक्टर में आर्थिक वृद्धि करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान देने का सामर्थ्य है और इस लिए इस सेक्टर में त्वरित निवेश बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि तथा किसानों की आय में वृद्धि करने लिए सुविधाजनक कारबार करने पर आधारित एक माहौल के सृजन की और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन निरन्तर कानूनी नियंत्रणों के भय को दूर करने की आवश्यकता थी ।

4. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और इस संबंध में तुरन्त विधान बनाने की आवश्यकता थी, इसलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन 5 जून, 2020 को आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया गया था ।

5. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020, जो आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 8) को प्रख्यापित करने के लिए है, में नए सिरे से अन्तःस्थापित धारा 3 की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे कृषि खाद्य पदार्थ की पूर्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, केवल असाधारण परिस्थितियों के अधीन ही विनियमित की जाएगी जिसमें युद्ध, अकाल, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा सम्मिलित है ;

(ख) स्टाक सीमा अधिरोपित करने के लिए कोई कार्रवाई, इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और छूटों के अधीन रहते हुए कीमत बढ़ोतरी पर आधारित होगी ।

6. यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
17 अगस्त, 2020

राम विलास पासवान